

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १३ सन् २०२०

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, २०२०

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा १० का संशोधन.
४. धारा १६ का संशोधन.
५. धारा २९ का संशोधन.
६. धारा ३० का संशोधन.
७. धारा ३१ का संशोधन.
८. धारा ५१ का संशोधन.
९. धारा १२२ का संशोधन.
१०. धारा १३२ का संशोधन.
११. धारा १४० का संशोधन.
१२. धारा १६८क का अंतःस्थापन.
१३. धारा १७२ का संशोधन.
१४. अनुसूची २ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १३ सन् २०२०

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, २०२०

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०२० है.

संक्षिप्त नाम तथा
प्रारंभ

(२) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय,—

(क) इस अधिनियम का खण्ड १२, ३१ मार्च २०२० से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा;

(ख) अन्य खण्ड ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे, जैसा कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

२. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (११४) में, उपखण्ड (ग) और (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

धारा २ का
संशोधन.

“(ग) दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव;

(घ) लद्दाख;”.

३. मूल अधिनियम की धारा १० में, उपधारा (२) में, खण्ड (ख), (ग) और (घ) में, शब्द “माल का” के पश्चात् शब्द “या सेवा का” अंतःस्थापित किए जाएं.

धारा १० का
संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १६ में, उपधारा (४) में, शब्द “से संबंधित बीजक” का लोप किया जाए.

धारा १६ का
संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा २९ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

धारा २९ का
संशोधन.

“(ग) कराधेय व्यक्ति धारा २२ या धारा २४ के अधीन इससे अधिक रजिस्ट्रेशन के लिए दायी नहीं हैं या धारा २५ की उपधारा (३) के अधीन किए गए स्वेच्छिक रजिस्ट्रेशन से बाहर आने का आशय रखता हो.”.

६. मूल अधिनियम की धारा ३० में, उपधारा (१) के पश्चात्, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए:—

धारा ३० का
संशोधन.

“परन्तु यह कि ऐसी कालावधि दर्शाए गए पर्याप्त कारण के आधार पर और कारण लेखबद्ध कर बढ़ाई जा सकेगी,—

(क) संयुक्त आयुक्त द्वारा तीस दिन से अनधिक की कालावधि के लिए;

(ख) अतिरिक्त आयुक्त या विशेष आयुक्त द्वारा खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट कालावधि से अधिक, तीस दिन से अनधिक की और कालावधि के लिए.”.

धारा ३१ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ३१ में, उपधारा (२) में, परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा,—

- (क) सेवाओं या पूर्तियों के प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनके संबंध में ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, कर बीजक जारी किया जाएगा;
- (ख) उसमें उल्लिखित शर्तों के अधधीन रहते हुए, सेवाओं के प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में,—
 - (एक) पूर्ति के संबंध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज कर बीजक समझा जाएगा; या
 - (दो) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकेगा.

धारा ५१ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ५१ में,—

- (क) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

“(३) स्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में जारी किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए.”;

- (ख) उपधारा (४) का लोप किया जाए.

धारा १२२ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा १२२ में, उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(१क) कोई व्यक्ति जो उपधारा (१) के खण्ड (एक), (दो), (सात) या (नौ) के अधीन आने वाले संव्यवहार का लाभ प्रतिधारित करता है और जिसके कारण उस समय जब ऐसा संव्यवहार किया गया, कर अपबंचन अथवा उपभोग किए गए कर प्रत्यय के समतुल्य राशि की शास्ति का दायी होगा.”.

धारा १३२ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा १३२ में, उपधारा (१) में,—

- (एक) शब्द “जो निम्नलिखित में से किसी अपराध को कारित करता है” के स्थान पर, शब्द “जो निम्नलिखित में से किसी अपराध को कारित करता है अथवा कारित करवाता है और उससे उत्पन्न होने वाले लाभों को प्रतिधारित करता है” स्थापित किए जाएं;

- (दो) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट बीजक या बिल का प्रयोग करते हुए इनपुट कर प्रत्यय को प्राप्त करता है या बिना किसी कर बीजक या बिल के कपट पूर्वक इनपुट कर प्रत्यय को प्राप्त करता है;”;

- (तीन) खण्ड (ड) में, शब्द “कपट से इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति” का लोप किया जाए.

